



दिनांक: 26-05-2023

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

### थाना फतेहपुर सहारनपुर पुलिस द्वारा छेड़छाड़ के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में जिला बदर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर व क्षेत्राधिकारी सदर सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 26.05.2023 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा छेड़छाड़ में वांछित 01 अभियुक्त **सतवीर पुत्र राकेश निवासी ग्राम मथाना थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर, सम्बन्धित मु0अ0सं0 99/23 धारा 354/354घ/324/506 भादवि** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

#### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

**1. सतवीर पुत्र राकेश निवासी ग्राम मथाना थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।**

#### गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण –

1. उ0नि0 श्री करन नागर थाना फतेहपुर सहारनपुर।
2. का0 2214 कुमरपाल थाना फतेहपुर सहारनपुर।



दिनांक: 26-05-2023

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 300

### ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अवैध नशीली वस्तु विक्रय करने वाले व नशे के कारोबार में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी बेहट सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी बेहट श्री बृजेश कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.05.2023 को थाना बेहट पुलिस द्वारा अभियुक्त अहसान पुत्र मंजूर निवासी मौ0 त्रिवेणी विहार थाना बेहट जिला सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के कब्जे से 300 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0स0-254/2023 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पूछताछ का विवरण:-** अभि0 अहसान पुत्र मंजूर ने पूछताछ में बताया कि वह अनपढ है तथा मजदूरी करता है। रोजी रोटी चलाने हेतु बाहर से चरस लाकर कस्बा बेहट में बेच देता है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. अहसान पुत्र मंजूर निवासी मौ0 त्रिवेणी विहार थाना बेहट जिला सहारनपुर।

### बरामदगी -

➤ 300 ग्राम अवैध चरस

### गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 32/23 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना बेहट

2- मु0अ0सं0 173/23 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना बेहट

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश कुमार पाण्डेय थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।

2. उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।

3. है0का0 586 राजीव पंवार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।

4. का0 1594 मोहित धामा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 26-05-2023

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश थाना चिलकाना सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 05 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस व 01 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराधियों की धड़पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 02 वाहन चोर 1. मोहित पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम दौलतपुर थाना चिलकाना सहारनपुर 2. कुलदीप पुत्र रिषिपाल निवासी ग्राम दौलतपुर थाना चिलकाना सहारनपुर को ग्राम दौलतपुर मदर्से के करीब से गिरफ्तार किया जिनके कब्जे से 01 मो0 साइकिल HR 02 H 0447 चैसिस नं0- 01G20F08523 व इंजन नं0- 01G18E08563 रंग काला हीरो होण्डा स्पलेण्डर सम्बंधित मु0अ0स0- 73/2023 धारा- 379 भादवि चालानी थाना चिलकाना व अन्य 04 मो0 साइकिल 1. स्पलेण्डर प्लस रंग काला रजि0 नं0- HR 02 AL 2209 चैसिस नं0- MBLHA10CGGHL24884 इंजन नं0- HA10ERGH25659 थाना रोदौर यमुनानगर हरियाणा से चोरी 2. मो0 साइकिल स्पलेण्डर आई स्मार्ट रंग सिल्वर लाल रजि0 नं0- HR 02 AM 5377 चैसिस नं0- MBLJA06AXG9L01448 व इंजन नम्बर JA06EPG9LO1667 थाना बुढिया यमुनानगर हरियाणा क्षेत्र से चोरी। 3. मो0 साइकिल स्पलेण्डर प्लस रंग काला रजि0 नं0- HR 06 M 8378 चैसिस नं0- 05L16F00832 इंजन नं0- 05L15E00408 थाना चांदनी बाग पानीपत हरियाणा से चोरी की है 4. मो0 साइकिल स्पलेण्डर प्लस रजिस्ट्रेशन नं0- HR 26 BP 9743 चैसिस नं0- MBLHA10EZB9L12131 इंजन नं0 HA10EFB9L22671 व एक तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस, एक चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 75/2023 धारा 414 भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट पजीकृत किया गया। अभियुक्तगणों को समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

**पूछताछ का विवरण:** -अभियुक्त गणों ने पूछने पर बताया कि हम इण्टर तक पढ़े हैं नशा करने के आदि हैं। तथा धन कमाने के लिए वाहन चोरी करके उनके पार्ट खोल खोलकर बेच देते हैं।

### गिरफ्तार अभियुक्तका नाम पता:-

1. मोहित पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम दौलतपुर थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. कुलदीप पुत्र रिषिपाल निवासी ग्राम दौलतपुर थाना चिलकाना सहारनपुर।

### बरामदगी -

1. **05 चोरी की मोटर साइकिल -**
  - I. HR 02 H 0447 चैसिस नं0- 01G20F08523 व इंजन नं0- 01G18E08563 रंग काला हीरो होण्डा स्पलेण्डर
  - II. HR 02 AL 2209 चैसिस नं0- MBLHA10CGGHL24884 इंजन नं0- HA10ERGH25659
  - III. HR 02 AM 5377 चैसिस नं0- MBLJA06AXG9L01448 व इंजन नम्बर JA06EPG9LO1667
  - IV. HR 06 M 8378 चैसिस नं0- 05L16F00832 इंजन नं0- 05L15E00408
  - V. HR 26 BP 9743 चैसिस नं0- MBLHA10EZB9L12131 इंजन नं0 HA10EFB9L22671
2. **01 तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस**
3. **01 अवैध चाकू**

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. उप निरी० राजेन्द्र गिरी थाना चिलकाना सहारनपुर
2. है०का० 862 विपिन मान थाना चिलकाना सहारनपुर
3. है०का० 388 कपिल कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर
4. है०का० 870 विक्रान्त थाना चिलकाना सहारनपुर
5. है०का० 1013 राहुल कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर



दिनांक: 26-05-2023

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा एनडीब्लू 01 वारंटी को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराधियो व लम्बित एनबीडब्लू / वारन्टियो के विरुद्ध चलाये गये अभियान के अनक्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे थाना प्रभारी कुतबुशेर के कुशल नेतृत्व में कुतुबशेर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए 01 NBW वारंटी अभियुक्त आजम पुत्र तालिम निवासी हबीबगढ निकट लाल मस्जिद थाना कुतुबशेर सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं0 1827/22 चालानी थाना को0देहात ( माननीय न्यायालय प्रधान न्यायाधीश/परिवार न्यायालय सहारनपुर ) को गिरफ्तार किया गया । वारंटी आजम उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

**गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता –**

1. आजम पुत्र तालिम निवासी हबीबगढ निकट लाल मस्जिद थाना कुतुबशेर सहारनपुर ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सतीश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 विरेन्द्र कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. है0का0 453 प्रवीण कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।



दिनांक: 26-05-2023

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार,**  
**कब्जे से चोरी की 01 मोटर साईकिल बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा वाँछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम, सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0स0 94/23 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात में सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त विशाल उर्फ गौरव पुत्र प्रवेश वर्मा निवासी नसरुल्लागढ थाना नकुड जिला सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की एक मोटर साईकिल होण्डा हॉरनेट सी0बी0 नं0 HR 01 AN 4673 व एक डुप्लीकेट चाबी बरामद हुई। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

विशाल उर्फ गौरव पुत्र प्रवेश वर्मा निवासी नसरुल्लागढ थाना नकुड जिला सहारनपुर

**बरामदगी-**

- 01 मोटर साईकिल होण्डा सी0बी0 हॉरनेट (रजिस्ट्रेशन नं0- HR 01 AN 4673 रंग लाल)
- 01 डुप्लीकेट चाबी

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 राहुल देशवाल थाना को0नगर सहारनपुर
2. है0का0 299 गुलजारी सिंह थाना को0नगर सहारनपुर



दिनांक: 26-05-2023

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

### थाना नागल पुलिस द्वारा किशोरी से दुष्कर्म के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 25.05.2023 को थाना नागल पर आवेदक श्री विकास पुत्र मेघराज निवासी सीडकी थाना नागल जिला सहारनपुर द्वारा उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर बावत अभियुक्तगण गगन पुत्र सुखवीर 2.पवन पुत्र सुखवीर 3.प्रेमचन्द पुत्र प्रकाशा 4.भरत सागर पुत्र सोमपाल निवासीगण फर्खपुर नवादा मुसैल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग साली को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में दाखिल की। दाखिला तहरीर के आधार मु0अ0सं0 146/23 धारा 363 भादवि पंजीकृत हुआ। मुकदमा पंजीकृत होने के 02 घण्टे बाद ही मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहर्ता को बरामद कर लिया गया। तथा बरामदगी पीडिता व बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोतरी की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी महोदय देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी नागल श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना नागल पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त गगन उर्फ मगन पुत्र सुखवीर सिंह निवासी फर्खपुर नवादा मुसैल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर को बडूली तिराहा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि साहब में ग्राम फर्खपुर थाना फतेहपुर का निवासी हूँ मैं अपहर्ता से प्यार करता हूँ तथा दिनांक 19.05.2023 को सीडकी से बहला फुसलाकर भगा ले गया था।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. गगन उर्फ मगन पुत्र सुखवीर सिंह निवासी फर्खपुर नवादा मुसैल थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश कुमार थाना नागल जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 सतीश कुमार थाना नागल जिला सहारनपुर
3. है0का0 734 कृष्णपाल सिंह थाना नागल जिला सहारनपुर

## प्रेस विज्ञप्ति:-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला कक्ष संख्या- 03 द्वारा अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास व 75 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई: -

अवगत कराना है, कि दिनांक 29.12.2013 को वादीया श्रीमति शमीम बानो पत्नी अब्दुल बहाव निवासी इस्लामनगर थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर, अभियुक्त अफजल पुत्र अनवर निवासी गोटेशाह चुंगी थाना मण्डी सहारनपुर हाल सम्राट कालोनी किराये का मकान थाना मण्डी सहारनपुर द्वारा वादीया की पुत्री (अपनी पत्नी) शहनाज उर्फ शहनावाज की हथौड़े मारकर हत्या कर देना की सूचना पर मु0अ0स0 403/2013 धारा 302 भादवि थाना कोतावाली मण्डी जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत किया गया, उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 289/2014 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 03 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थाना द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या- 03 सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 26.05.2023 को अभियुक्त अफजल पुत्र अनवर मु0अ0स0 403/2013 धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास व 75 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,

अभियुक्त को सजा दिलवाने में शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री राजवीर सिंह- 8791325415, विवेचक निरीक्षक श्री बी0पी0सिंह सोलंकी एवं पैरोकार है0का0 754 प्रीतम का महत्वपूर्ण योगदान रहा।